भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2005

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

निमार्ण क्षेत्र मे रोजगार के अवसरों मे कमी

2005. श्रीमती महुआ माजी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निर्माण क्षेत्र में रोजगार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**,** जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में 12.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में 11.4 प्रतिशत हो गई है**;**

(ख) कृषि में अवैतनिक पारिवारिक श्रम**,** जिसे पीएलएफएस सर्वेक्षण में रोजगार के रूप में दर्ज किया गया है**,** में चिंताजनक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यनीति तैयार की गई है**;**

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान निर्माण क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं**;** और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्तियों पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार**,** निर्माण क्षेत्र में व्यापक उद्योग डिविजन में कामगारों का सामान्य स्थिति में अनुमानित प्रतिशत वितरण 2017-18 में 11.7% था और 2023-24 में बढ़कर 12% हो गया।

इसके अलावा**,** निर्माण क्षेत्र में रोजगार में सकारात्मक रुझान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस (के: पूंजी**,** एल: श्रम**,** ई: ऊर्जा**,** एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटा से भी देखा जा सकता है जो दर्शाता है कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार 2017-18 में 5.47 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 7.47 करोड़ हो गया।

निर्माण सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसे उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देश भर के युवाओं को शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, 2015 से 31.10.2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में 1.57 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 24.37 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

*****